कार्यालय–नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, ललितपुर।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, परिसर ललितपुर में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए ठेके की नीलामी दिनांक 10.12.2025 को अपराह्न 04:30 बजे से सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, ललितपुर में नीलामी समिति की देख–रेख में सम्पन्न की जायेगी।

विवरण नीलामी:–

01– फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए

नीलामी की शर्तें:–

01– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के ठेके की धनराशि की 10% अधिक प्रारंभिक बोली लगानी होगी।

02– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 के ठेके की धनराशि का 20% सुरक्षा धनराशि के रूप में निम्न प्रकार जमा करना होगी।

क्रमांक	ठेके का विवरण	2024–25 की धनराशि	प्रारंभिक बोली की धनराशि
01.	फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए।	रू० 1,15,000/– (वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25)	रू० 21,100/– (वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि हेतु)

01– नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।

02– उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने नही दिया जायेगा, जिन पर ठेकों के बावत पिछले वित्तीय वर्षों का कोई बकाया शेष हो।

03– बोली स्वीकृत होने पर फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए नीलामी की पूर्ण धनराशि तुरन्त करनी होगी। उपरोक्तानुसार धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुन: नीलामी की जा सकेगी।

04– प्रत्येक बोली दाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा।

05– नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा।

06– नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा।

07– नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के बावत अनुबन्ध अंकन 100 रू० के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा। स्टाम्प नीलाम क्रेता को स्वयं क्रय कर प्रस्तुत करना होगा।

08– ठेकेदार को न्यायालय भवन के सामने गेट के पास सड़क के किनारे खाली भूमि में विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा। जिसमें ठेकेदार द्वारा अपना अस्थाई प्रबन्ध कर निर्धारित कार्य करेगें।

09– जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेगें तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

10– यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये।

11– प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य होगा।

12– ठेका फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए न्यायालय परिसर, ललितपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये दिया जायेगा।

13– नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा।

14– फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए विद्युत संयोजन स्वयं के व्यय पर लेना होगा। विद्युत संयोजन लेने व नीलामी स्वीकार होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा विद्युत की रसीद/कनेक्शन संख्या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी। प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

15– प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

16– जिस बोलीदाता/ठेकेदार के पक्ष में नीलामी अनुमोदित की जायेगी उसे अन्दर तीन दिवस में नियत निर्धारित स्थान पर कार्य प्रारम्भ करना होगाः–

धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :–

क्रमांक	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	संचालित करने का स्थान
01.	फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए।	रू० 11,500/–	न्यायालय परिसर, ललितपुर में स्थित पी०एन०बी० ए०टी०एम० के बगल में। शटरयुक्त दुकान में।

17– ठेकेदार तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तंबाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेंचेगे। इस संबंध में उन्हें लिखित अंडरटेकिंग देना होगी।

1-12-25

(यादवेन्द्र सिंह),
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
अपर जिला जज–प्रथम, ललितपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

01– नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर।

02– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिसद, ललितपुर।

03– सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर।

04– जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं० 562/19–02–2007–1007/74(T.C) (सूचना अनुभाग 02 लखनऊ) दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित।

05– सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर व माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महरौनी।

07– उप नाजिर, बाह्य न्यायालय, महरौनी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

आज्ञानुसार नीलामी समिति,

1/12/25

केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, ललितपुर।